अध्याय 11

# सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तीकरण

अनोपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे–छोटे खेत हैं। वहाँ के कुछ किसानों ने ट्रेक्टर व खेती के नये औजार खरीदने चाहे। कई किसान अपनी जमीनों का सुधार करवा कर सिंचाई की सुविधाएँ भी बढ़ाना चाहते थे। परन्तु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में अन्य किसानों से कहा–"इस गाँव के हम किसान लोग क्यों न सहकारी खेती को अपना लें ? यदि हम सभी किसान अपने छोटे–छोटे खेतों को मिलाकर एक कर लें और सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े–थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर लें तो खेतों को सुधरवा सकते हैं, ट्रेक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई भी किसान इन बड़े खर्च वाले कार्यों को अकेला नहीं करवा सकता है।" यह सुनकर गोपाल ने घासीलाल से पूछा – "आखिर मुझे इस कार्य से क्या मिल जाएगा ? क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो ? " घासीलाल ने सब को समझाते हुए कहा–"नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएँ दूर हो जाएँगी। इससे सभी को लाभ होगा। हमारे खेतों पर सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी, हमारा थोड़ा–थोड़ा धन एक बड़ी धन राशि बन जाएगी, जिससे हम महँगे औजार भी खरीद पाएँगे। खेतों को मिलाने पर खेत की जोत बड़ी हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको उसके हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननिहाल के किसान तो बहुत पहले से ही ऐसा कर चुके हैं।"

**चौपाल पर चर्चा करते किसान**

अब सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारम्भ कर दी। उनके खेतों की उपज कई गुना बढ़ गई। अनोपुरा के किसानों का जीवन ही बदल गया।

इस तरह मिल जुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है।

बच्चों ! मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने लाभ को छोड़ कर सबके लाभ के लिये कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है।

## सहकारिता का अर्थ एवं महत्व

साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं, उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं, तो बड़े और मुश्किल काम भी संभव हो जाते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है।

सहकारिता का मंत्र

## सहकारिता के मूल तत्व

1. सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है।
2. इसका संचालन एवं प्रबन्ध सभी सदस्यों की सहमति से होता है।
3. सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं।
4. इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ–साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है।

सहकारिता के मूलमंत्र हैं – ''एक सब के लिए, सब एक के लिए'' और '' सबके हित में ही हमारा हित है।''

## सहकारी समिति का गठन

किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रिया–कलापों के उद्देश्यों से कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूँजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय–व्यय का उचित तरीके से हिसाब–किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ–हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।

अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियाँ निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं–

1. कृषि सहकारी समिति
2. दुग्ध सहकारी समिति
3. उपभोक्ता सहकारी समिति
4. गृह–निर्माण सहकारी समिति
5. सहकारी साख एवं बचत समिति
6. क्रय–विक्रय सहकारी समिति

**गतिविधि–**

अपने क्षेत्र में चल रही दुग्ध या अन्य सहकारी समिति का भ्रमण कर उसकी कार्यप्रणाली को समझें तथा उस पर एक लेख लिखिए।

हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है । जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकरी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए, अब हम उपभोक्ता सशक्तीकरण के बारे में चर्चा करें–

## उपभोक्ता सशक्तीकरण

गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण कर के कक्षा 6 में आया। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। परंतु ये क्या! पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ थे ही नहीं। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखायी। शिक्षिका ने उससे कहा, ''इस पुस्तक को विक्रेता को लौटा कर बदलवा लो।'' वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किन्तु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वैसे ही वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इन्तजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई।

दादाजी बोले–"यह विक्रेता का गलत व्यवहार है।'' उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने 'उपभोक्ता संरक्षण कानून– 1986' बनाया है। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करता हूँ।"

दादाजी आगे बोले–"हम अपनी खरी कमाई का खरा पैसा देकर खोटी चीज क्यों खरीदें ? घटिया चीज क्यों खरीदें ? मिलावट क्यों बर्दाश्त करें ? भला कोई नकली माल क्यों लेवें ? इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है–'उपभोक्ता संरक्षण कानून' ।"

अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई, बल्कि पाँच हजार रूपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया।

## उपभोक्ता कौन ?

जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अन्तिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे– आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं, तो आप एक उपभोक्ता कहलाएँगे। इसी प्रकार आप एक टेक्सी किराये पर लेकर विद्यालय पहुँचते हैं, तो भी आप एक उपभोक्ता कहलाएँगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई

खरीदता है, सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है, तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।

## उपभोक्ता का शोषण

उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्राण्ड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्राण्ड की वस्तु या नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण किये जाने की घटनाएँ होती रहती हैं।

## खरीददारी के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ

उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीददारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :–

1. खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारण्टी/वारण्टी कार्ड अवश्य लेना चाहिये। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
2. सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नम्बर, उत्पादन एवं अवधि समाप्ति की तिथि, कीमत कर सहित/रहित तथा निर्माता का पूरा नाम व पता अच्छी तरह जाँच कर खरीदना चाहिए।
3. वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले आई.एस.आई., एगमार्क, एफ.पी.ओ. आदि मानक–चिह्नों को देख कर खरीदना चाहिए।

**मानक–चिह्न**

4. सावधानी रखनी चाहिये कि नापने अथवा तोलने के लिये प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है।
5. वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए।

6. आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाते हैं। उपभोक्ता इन से भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिये। बहुत अच्छी तरह देख–परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए।

**गतिविधि :**
विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग पर बने गुणवत्ता चिन्हों को एकत्रित करें और चार्ट पर चिपका कर उन पर शिक्षक की सहायता से कक्षा में चर्चा कीजिए।

## उपभोक्ता शिकायत कहाँ करे ?

उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986' बनाया गया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। बीस लाख रुपये तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, बीस लाख से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में और एक करोड़ रुपये से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। इस राशि की सीमा में समय–समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है।

सभी सावधानियों के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है, तो 'उपभोक्ता न्यायालय' में शिकायत अवश्य करनी चाहिये। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रह कर उनका लाभ उठाना चाहिए।

## उपभोक्ता शिकायत कैसे करें ?

उपभोक्ता सादे कागज पर 4–5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से, किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता है और न ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर दो वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता–पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायत कर्त्ता जो कुछ चाहता है, उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल/रसीद आदि भी साथ होने चाहिए।

## उपभोक्ता को उपलब्ध राहत

शिकायत कर्त्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. विवादास्पद सामान में सुधार करवाना।
2. उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना।
3. उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना।
4. उपभोक्ता को हर्जाना / खर्चा दिलवाना।

**गतिविधि :**

माना कि आपने एक मोबाइल खरीदा है, परन्तु वह दोषपूर्ण है। विक्रेता उसको बदलने या ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी शिकायत करते हुए जिला उपभोक्ता मंच को एक प्रार्थना–पत्र लिखिए।

## शब्दावली

सहकारिता : सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव।

आर्थिक : धन या रुपये–पैसे सम्बन्धी।

शोषण : दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना।

गारण्टी : क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित् अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा।

वारण्टी : क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित् अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा।

## अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है –

(अ) कलक्ट्रेट में (ब) तहसील में

(स) सहकारिता विभाग में (द)गृह विभाग में ( )

(ii) निम्नलिखित में से कौनसा मानक चिन्ह है –

(अ) आई.एस.आई. (ब) एगमार्क

(स) एफ.पी.ओ. (द) उपर्युक्त तीनों ही ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
   - (i) आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं, तो आप एक.................. कहलाएँगे।
   - (ii) उपभोक्ता द्वारा बीस लाख रुपये से अधिक एवं एक करोड़ रुपये तक की राशि से संबधित विवाद की शिकायत.......................................में की जा सकती है।
   - (iii) प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या............होनी चाहिए।
3. सहकारिता के मूलमन्त्र क्या हैं ?
4. किन्हीं तीन प्रकार की सहकारी समितियों के नाम लिखिए।
5. दादाजी ने विक्रेता की शिकायत कहाँ पर की ?
6. उपभोक्ता के शोषण के तीन उदाहरण दीजिए।
7. खरीददारी करते समय रखी जाने वाली कम से कम तीन सावधानियों के बारे में लिखिए।

अध्याय 12

# सरकार और लोकतंत्र

किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय लेने का काम सरकार करती है। सरकार जनता के लिए कई तरह के काम करती है। सरकार के कार्यों की प्रकृति उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि सरकार तानाशाही है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह जनता के भले के लिए कार्य करे। सामान्यतया लोकतांत्रिक सरकार ही जनता के हित में निर्णय लेती है। सरकार जनता को विभिन्न प्रकार की जनसुविधाएँ जैसे–सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली की आपूर्ति आदि उपलब्ध कराती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है, जैसे कि गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना। वह डाक एवं रेल सेवाएँ चलाने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण काम भी करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। सरकार देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य–सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करती है।

## सरकार के स्तर

देश में सरकार अलग–अलग स्तरों पर काम करती है– स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर।

1. स्थानीय स्तर की सरकार का मतलब अपने गाँव या शहर के लिए काम करने वाली सरकार से है। अपने गाँव में ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिका आदि नगरीय निकाय स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करते हैं। ये अपने इलाके में सड़क बनवाने, सफाई करवाने और रास्तों में रोशनी की व्यवस्था करवाने जैसे स्थानीय महत्त्व के कार्य करते हैं।
2. राज्य स्तर की सरकार का मतलब है, वह सरकार जो एक पूरे राज्य के लिए कार्य करे, जैसे– हमारी राजस्थान सरकार।
3. राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जैसे–हमारी भारत सरकार।

## सरकार एवं कानून

सरकार कानून बनाती है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। सरकार कानून के माध्यम से काम करती है। उसके पास कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति होती है। सरकार को यह शक्ति जनता अपने वोट के माध्यम से प्रदान करती है। हम यह जानते हैं कि वाहन चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर कोई कानून तोड़ता है, तो उसको जुर्माना भरना पड़ता है अथवा जेल की सजा काटनी पड़ती है। यह सरकार की कानून लागू करने की शक्ति का उदाहरण है।

अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे न्यायालय में प्रार्थना–पत्र देकर कानून की पालना करवा सकते हैं।

अब हम यह जानेंगे कि सरकार कितने प्रकार की होती है और हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है–

## सरकार के प्रकार

सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है–यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस तरह की सरकार है।

सरकार के भिन्न–भिन्न प्रकार प्रचलित रहे हैं–

**1. राजतंत्रीय सरकार–** राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति अकेले एक ही व्यक्ति अर्थात् राजा या रानी के पास होती है। राजा अपने कुछ सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद् की मदद से सरकार चलाता है। अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। उसे अपने निर्णय के आधार बताने और निर्णयों की सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। स्वतंत्रता के पहले देश में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की राजाओं की सरकारें थीं। ऐसी सरकार को बनाने में जनता की भागीदारी नहीं थी या नगण्य होती थी।

राजतंत्र

**2. तानाशाही सरकार–** यदि सरकार विभिन्न हितों के बीच टकरावों को बलपूर्वक दबाकर किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू करती है, तो ऐसी सरकार तानाशाही होती है। तानाशाह शासक जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। जनता के पास अपना विरोध या समर्थन प्रकट करने और कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं होता है। एक समय यूरोप के जर्मनी और इटली नामक देशों में तानाशाही सरकारें थीं, जिन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना की।

तानाशाही

**3. लोकतांत्रिक सरकार–** लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। जनता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाता है। अतः यह जनता का ही शासन होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह और जन भागीदारी पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में सभी को अपने–अपने हितों को प्रकट करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। सरपंच, पार्षद और विधायक जन–प्रतिनिधि होते हैं।

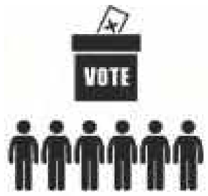

लोकतंत्र

राजतंत्र

लोकतंत्र

राजतंत्र एवं लोकतंत्र में जनता की स्थिति का अंतर

**गतिविधि :**

विद्यार्थियों के अलग–अलग समूह बनाकर कक्षा में विभिन्न प्रकार की सरकारों पर चर्चा करावें।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता चुना, ताकि सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अब हम लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।

## लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएँ

1. **प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र**–जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वार्ड़ पंच, सरपंच, प्रधान, जिला–प्रमुख, शहर के पार्षद व मेयर, विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर जनता की ओर से सरकार के संचालन में भागीदारी करते हैं। इस प्रकार जनता सरकार के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाती है।

जनता द्वारा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाना

2. **समानता एवं न्याय–** लोकतांत्रिक सरकार न्याय एवं समानता के आधार पर कार्य करती है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है, जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है, जो समाज में बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में लोग लड़कों के पालन–पोषण पर लड़की से ज्यादा ध्यान देते हैं। समाज लड़कियों को उतना महत्त्व नहीं देता, जितना लड़कों को देता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, ताकि लड़कियाँ समाज में बराबरी पर आ सकें। इसी प्रकार समाज में कुछ वंचित और पिछड़े वर्गों के समूह हैं, जिनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं।

मतदान केन्द्र का दृश्य

सरकार का चुनाव 18 वर्ष की आयू पूरी कर चुके देश के सभी वयस्क नागरिक समानता के आधार पर वोट दे कर करते हैं। जनता को एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है।

3. **जागरूकता और जवाबदेही–** लोकतांत्रिक सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है। देश में जनता को सूचना का अधिकार दिया गया है। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों व उसके कार्यों और आय–व्यय के हिसाब की सूचना माँग सकता हैं। इससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, साथ ही सरकार एवं लोगों के बीच की दूरी कम हो रही है।

लोक कल्याणकारी सरकार के कार्य

समाचार पत्रों, रेड़ियो, टेलीविजन और इन्टरनेट सेवा युक्त कम्प्यूटर जैसे संचार के माध्यमों से मिली सूचनाओं के आधार पर देश के लोग विभिन्न विषयों पर आपस में विचार–विमर्श कर सरकार के कार्यों के बारे में अपनी राय बनाते हैं।

4. **लोककल्याण–** लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए होती है। सरकार जनता के कल्याण के लिए

कार्य करती है। वह ऐसे कार्यक्रम और योजनाएँ चलाती है, जिनसे सभी लोगों का कल्याण हो। गरीब, कमजोर और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, महात्मा गाँधी नरेगा योजना के जरिये रोजगार देना, निःशुल्क दवा योजना आदि सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

**गतिविधि :**

1. आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों का अवलोकन करके उनकी सूची बनाइए।
2. उन लोक कल्याणकारी योजनाओं की सूची बनाइए, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं।

5. **विवादों का समाधान–** हमारा देश विविधताओं का देश है। कभी–कभी विविधता से विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जनता के विवादों और समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार शान्तिपूर्ण तरीके से कानून के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास करती है। लोकतंत्र में सरकार विवादों के समाधान में जनमत का सम्मान करती है।

समाज से ही सरकार का गठन होता है। समाज और सरकार में घनिष्ट संबंध होता है। लोकतांत्रिक सरकार व्यक्ति के विकास और उसके जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है।

## शब्दावली

लोकतंत्र : जनता का राज्य अथवा वह सरकार जिसमें शासक जनता के मत से चुना जाता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार : लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक आयु के) नागरिकों को मत डालने का अधिकार

लोक कल्याण : जनता के हित के लिए किए जाने वाले कार्य।

## अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे कहते हैं–

(अ) प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र (ब) तानाशाही

(स) राजतंत्र (द) इनमें से कोई नहीं ( )

(ii) जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार है –

(अ) राजतंत्रीय सरकार (ब) तानाशाही सरकार

(स) लोकतांत्रिक सरकार (द) इनमें से कोई नहीं ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) सरकार का चुनाव ....................... वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं।

(ii) जनता अपने ........................................... के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाती है।

(iii) राजतंत्रीय सरकार में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार...........................के पास होता है।

3. स्तम्भ 'अ' का मिलान स्तम्भ 'ब' से कीजिए –

| | **स्तम्भ 'अ'** | **स्तम्भ 'ब'** |
|---|---|---|
| (i) | सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के के पास होती है | लोकतांत्रिक सरकार |
| (ii) | सरकार एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है। | राजतंत्रीय सरकार |
| (iii) | सरकार जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। | तानाशाही सरकार |

4. प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं ?

5. लोग विभिन्न विषयों पर अपनी राय किस प्रकार बना पाते हैं ? समझाइए।

6. सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताइए।

अध्याय 13

# बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण

बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। बालक के प्रति हमारे व्यवहार, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बालक की स्थिति के संबंध में हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए।

समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य के सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा आवष्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उसके अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरुक रहता है। बालकों के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के संबंध में चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार एवं नीतियों का निर्धारण किया हैं। बच्चों को उनके जन्म से ही उसकी पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार किसी धर्म, जाति और लिंग के भेद के बिना स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं।

## बाल अधिकार क्या है ?

बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 के अनुसार 'बाल अधिकार' में बालक/बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों को चार प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. **जीने का अधिकार :** बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
2. **विकास का अधिकार :** बच्चों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। 'भावनात्मक विकास' तब सम्भव होता है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय और सरकार सभी बच्चों की सही देखभाल करें और प्रेम दें। 'मानसिक विकास' उचित शिक्षा और

सीखने द्वारा तथा 'शारीरिक विकास' मनोरंजन, खेल–कूद तथा पोषण द्वारा सम्भव होता है।

3. **संरक्षण का अधिकार :** बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विषेष संरक्षण के पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

4. **भागीदारी का अधिकार :** बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार है जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं।

**गतिविधि–**
आपके विचार में बच्चों के कौन–कौन से अधिकार होने चाहिए, उनकी एक सूची बनाइए।

## बाल अधिकार हनन क्या है ?

हम बाल अधिकार के हनन को उसके विभिन्न रूपों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाल अधिकारों का हनन निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है :

1. **कन्या भ्रूण हत्या :** समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता एवं पुत्र मोह की इच्छा में समाज में बड़ी संख्या में बालिकाओं को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु ''पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. कानून, 1994'' के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान संचालित किया जा रहा है।

2. **बाल विवाह :** समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। बाल विवाह से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने के अधिकारों के हनन के साथ–साथ ही हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। कम उम्र में विवाह करने से बच्चों के शरीर और मस्तिष्क, दोनों को बहुत गंभीर और घातक खतरे की संभावना रहती है। कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, इसकी वजह

से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं। इससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006'' का क्रियान्वन किया जा रहा है।

3. **बाल श्रम :** आज भी हमारे समाज में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय दुकानों, कारखानों, घरों, ढाबों, चाय की दुकानों, ईट भट्टों, खेतों आदि स्थानों पर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। उनसे लगातार काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000'' के तहत कार्यवाही की जाती है।

4. **बाल यौन हिंसा :** भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' लागू किया गया है।

5. **बाल तस्करी :** बाल श्रम, यौन हिंसा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे देकर, बहला–फुसलाकर, डरा–धमकाकर, शक्तियों का दुरूपयोग करके या अपहरण करके बालक/बालिकाओं की तस्करी की जाती है। ऐसे अपराधिक कार्यों की रोक–थाम के लिए दण्डात्मक कानून बनाए गए हैं।

**गतिविधि–**
आप अपने आस–पास के परिवेश में जिन बाल–अधिकारों का हनन होते हुए पाते हैं उनकी एक सूची बनाइए।

## बाल दुर्व्यवहार क्या है ?

बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं हिंसा को बाल दुर्व्यवहार माना गया है।

1. शारीरिक दुर्व्यवहार का मतलब ऐसे किसी भी कार्य से है जो बच्चे को पीड़ा दे, चोट पहुँचाए या तकलीफ दे।
2. बाल यौन दुर्व्यवहार में वे सभी अपराध सम्मिलित हैं, जो ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम'' में सम्मिलित किए गए हैं।
3. भावनात्मक दुर्व्यवहार में वे कार्य या चूक सम्मिलित हैं जिनके कारण बच्चा किसी भी तरह के तनाव, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार बनता हो।
4. ऐसा किसी भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।

बच्चों को सजा देना उन्हें अनुशासित करने और उन्हें वयस्क के अधिकार में लाने का एक परम्परागत तरीका माना जाता है, किन्तु शारीरिक हो या मानसिक बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा गलत है। ये बातें दीर्घावधि में बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये गतिविधियाँ बालकों में शारीरिक और व्यवहारपरक नकारात्मक पैटर्न विकसित कर देती हैं। इनके प्रभावस्वरूप बच्चों में अनिद्रा, नैराश्य की

भावना, खुद को बेकार समझना, क्रोधित होकर चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, दोस्तों से अलग होना, ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाना, पढ़ाई में कमजोरी, झगड़ालू व्यवहार, नफरत, विद्यालय या घर से भागना जैसी स्थितियाँ सामने आ सकती है। बच्चे की आत्मसुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है।

## बच्चों के कर्त्तव्य

अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जुड़े हुए हैं। बच्चों से जिन कर्त्तव्यों की पालना की अपेक्षा की जाती है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. बच्चों को अभिभावकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाहरी लोगों का सम्मान करना चाहिए।
2. बच्चों को अपने से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ अभिभावकों और शिक्षकों को देनी चाहिए।
3. दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को बाँटना चाहिए।
4. कभी भी दूसरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक चोट पहुँचाने का काम न करें, तनाव न दें। धमकाएँ नहीं और छोटे नामों से न पुकारें। अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल न करें।
5. अपनी निजी वस्तुएँ हमें देने के लिए दूसरे बच्चों को बाध्य नहीं करें।

## हमारी सुरक्षा–हमारी जिम्मेदारी

अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सजग रहें, ताकि कोई परेशानी हो तो पहले ही पता लग जाए। इसके लिए बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1. ऐसी जगह मत जाओ जहाँ आपको असुरक्षा महसूस होती हो। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो, वहाँ से निकल जाओ।
2. किसी अजनबी के घर अकेले न जाएँ। जब भी कहीं जाओ, तो वहाँ के सम्पर्क का माध्यम क्या है और किसके साथ जा रहे हो, ये जानकारियाँ अपने अभिभावक या संरक्षक को जरूर देकर जाओ।
3. अजनबियों से बात करते या कुछ लेते समय सतर्क रहो। कोई तुम्हें उपहार, खिलौने, पैसे, गाड़ी में लिफ्ट देने या घुमाने का लालच दे तो इसके बारे में अपने अभिभावकों, संरक्षकों या प्रशासन व कर्मचारियों को जरूर बताओ।
4. ज्यादा लोगों के बीच में रहना अधिक सुरक्षित होता है, अतः समूह में खेलो और घूमो।
5. अचानक कोई धमकी या चेतावनी मिलती है तो जोर से आवाज लगाओ और अपने साथियों को बुलाओ।
6. यदि किसी के व्यवहार से आपको परेशानी महसूस हो रही है तो इसके बारे में अपने अभिभावकों या विश्वसनीय लोगों को बताओ। यदि आप अकेले हैं और खतरा महसूस कर रहे हैं तो 1098 या 100 नम्बर पर फोन करो।
7. सूने स्थानों के शौचालयों में अकेले न जाएँ।
8. इंटरनेट पर या अजनबी व्यक्तियों को अपना नाम, पता, उम्र, फोटो आदि उजागर न करें।
9. कोई आपके परिवार के बारे में आपात स्थिति बताए तो स्कूल द्वारा इसकी पुष्टि किए बिना स्कूल न छोड़ें।

**गतिविधि–**

अपनी सुरक्षा के लिए बालकों को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए।

## बाल संरक्षण हेतु तन्त्र

राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं/ कार्यक्रमों/नीतियों/अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कार्य में निम्नलिखित संस्थाएँ उसको सहयोग प्रदान करती हैं–

### 1. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

यह आयोग बालक/बालिकाओं के अधिकारों के हनन के मामलों की जाँच और सुनवाई के साथ–साथ बच्चों से जुड़े कानूनों/योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी/समीक्षा का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को), 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है।

### 2. राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति

यह समिति राज्य में विभिन्न बाल संरक्षण कार्यक्रमों/कानूनों/नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति की जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में ''जिला बाल संरक्षण ईकाई'', प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ''ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

### 3. चाईल्ड हेल्प लाईन (1098)

राज्य में कठिनाईयों में घिरे पीड़ित/उपेक्षित/लावरिस तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 20 जिलों में 24 घण्टे निःशुल्क आपातकालीन पहुँच सेवा '1098' टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में यह सेवा जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर बाँसवाड़ा डूँगरपुर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर जिले में संचालित हैं।

## शब्दावली

1. शारीरिक : शरीर संबंधी
2. मानसिक : मन की कल्पना से संबंधित
3. भावात्मक : भावनाओं संबंधी, भावमय

## अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प चुनिए–

(1) निम्नलिखित में से कौनसा बाल अधिकार हनन् का उदाहरण है।

(अ) शिक्षा देना (ब) बाल विवाह करना

(स) भोजन देना (द) सुरक्षा देना ( )

(2) राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है–

(अ) कृषि विभाग (ब) वन विभाग

(स) बाल अधिकारिता विभाग (स) इनमें कोई नहीं ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

| | **स्तम्भ 'अ'** | **स्तम्भ 'ब'** |
|---|---|---|
| 1. | बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार | जीने का अधिकार |
| 2. | भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार | विकास का अधिकार |
| 3. | शिक्षा पाने का अधिकार | संरक्षण का अधिकार |

3. बाल अधिकार कौन–कौन से हैं ?
4. बच्चों के पाँच कर्त्तव्य लिखिए।
5. अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अध्याय 14

# स्थानीय स्वशासन : ग्रामीण और शहरी

स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन–कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहाँ रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गाँव या शहर की समस्याओं और जरुरतों को आपसे से ज्यादा और कौन समझ सकता है ? आपके गाँव या शहर के आस–पास के कौनसे साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें, तो उसमें सफलता की संभावना ज्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रभावी उपाय है।

नागरिक सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिये स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वन करना ही 'स्थानीय स्वशासन' है। विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग–अलग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक–दूसरे से भिन्न है। शहर गाँवों की तुलना में बड़े होते हैं। उनकी जनसंख्या अधिक होती है। अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएँ भी गाँवों से अलग होती हैं। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायतीराज व्यवस्था तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया।

अब हम भारत की पंचायतीराज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे–

## पंचायतीराज व्यवस्था : ग्रामीण स्वशासन

ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाया गया है। गाँवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को 'पंचायतीराज' के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का प्रारम्भ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) से हुआ था। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरु होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन–सुविधाओं व सार्वजानिक स्थानों की सामूहिक देख–रेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

ग्रामीण स्वशासन त्रि–स्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर गाँव की 'ग्राम पंचायत' का

गठन होता है। दूसरे स्तर अर्थात् विकास खण्ड स्तर पर 'पंचायत समिति' का गठन होता है तथा तीसरे स्तर अर्थात् जिले में 'जिला परिषद्' का गठन होता है।

आइए, अब हम पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं–

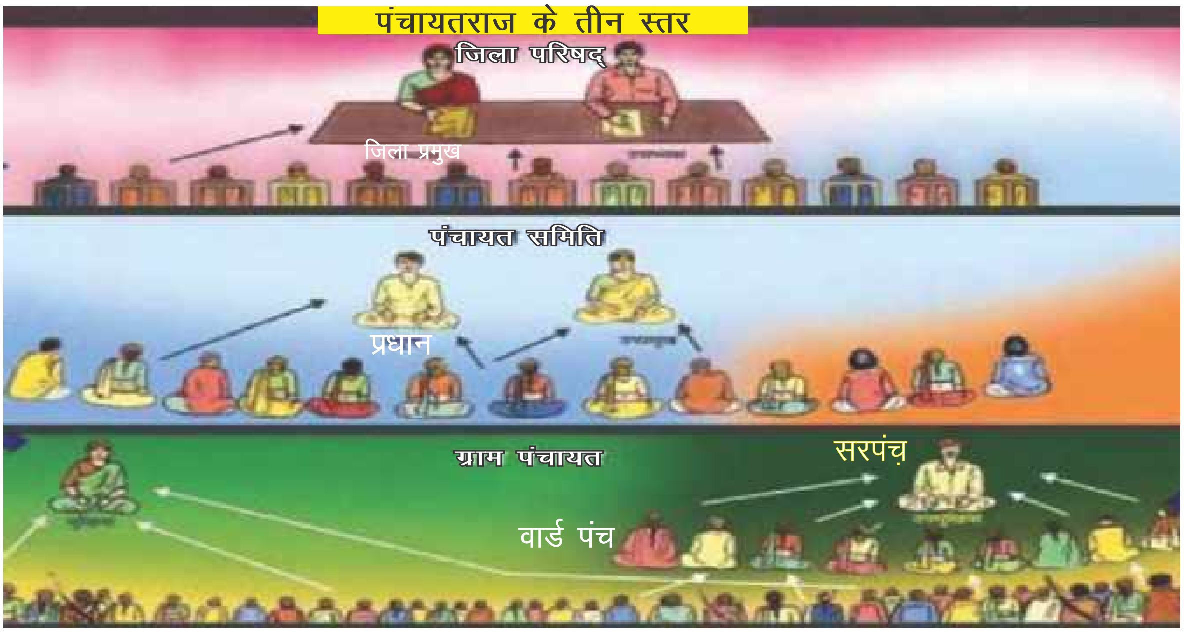


त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की संरचना

## ग्रामपंचायत

### वार्ड सभा

वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बाँटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग वार्ड कहा जाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला–पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का 'वार्ड पंच' कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को 'वार्ड सभा' कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएँ बनाई जाती हैं तथा उनको लागू करवाने के लिये प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किये जाते हैं।

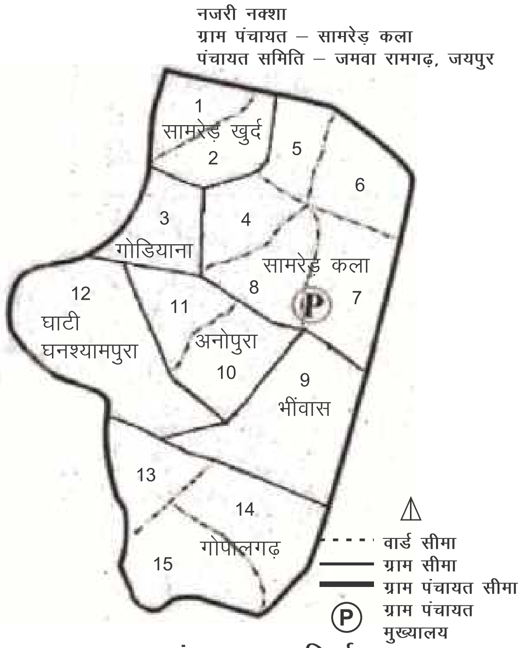


एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र एवं उसके वार्ड़

वार्ड़ सभा उस वार्ड़ से संबंधित लोक उपयोगी सेवाओं जैसे सामुदायिक नल व कुँए, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है।

**गतिविधि :**

1. आपकी ग्राम पंचायत का नाम, उसके वार्डों की संख्या और आपके वार्ड पंच का नाम मालूम कीजिए।
2. आपके वार्ड में आयोजित की जाने वाली वार्ड सभा बैठक का अवलोकन कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए ।

## ग्राम सभा

ग्रामसभा की बैठक का दृश्य

किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को 'ग्राम सभा' कहते हैं अर्थात् गाँव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता–सूची में दर्ज हो और जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम के विकास की सभी योजनाएँ ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती है, जिनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अर्थात् वर्ष में चार बार होती है।

## ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत की बैठक का दृश्य

किसी भी बड़े गाँव में या आस–पास के कुछ छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया 'सरपंच' होता है तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड़ पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक माह में दो बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गाँव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिये जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिये ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है।

## ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना।
2. सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना।
3. महात्मा गाँधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
4. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना।
5. जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना।
6. गाँवों में लगने वाले मेले/उत्सवों, हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना।
7. नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन करना।
8. वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना।

इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है।

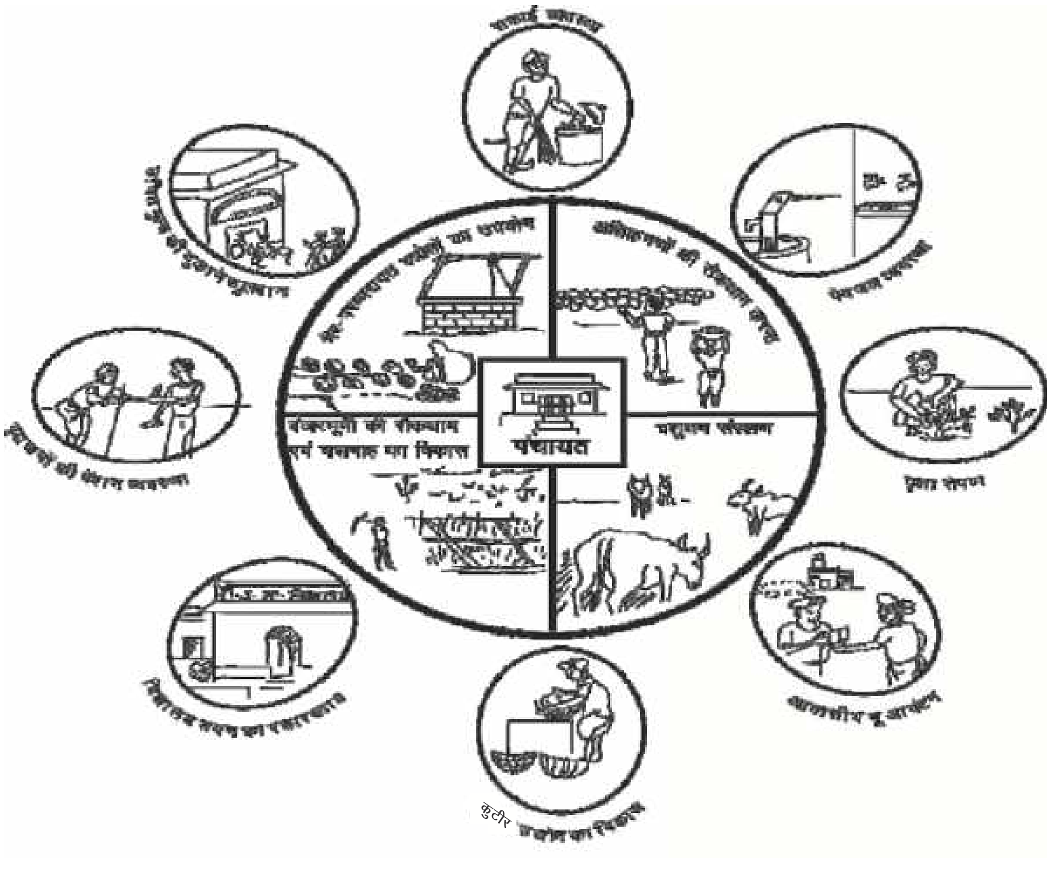


ग्राम पंचायत के कार्य

## ग्राम सचिवालय

ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी, जैसे– ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, ए.एन.एम., हैण्डपम्प मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गाँव के लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित हो कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।

**गतिविधि :**

1.आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच का नाम मालूम कीजिए।

2. अपने शिक्षक की सहायता से ग्राम पंचायत की मॉक बैठक आयोजित कीजिए।

## पंचायत समिति

हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खण्डों में बाँटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खण्ड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया 'प्रधान' कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप–प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इनके साथ–साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधान सभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय–समय पर इसकी बैठकें होती हैं, जिनमें उस विकास खण्ड के सभी विभागों के खण्ड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र

**गतिविधि :**

1. आपके क्षेत्र की पंचायत समिति का नाम व प्रधान का नाम मालूम कीजिए ।

2. आपके क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य का नाम पता कीजिए।

3. शिक्षक की सहायता से खण्ड स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाइए।

**कार्य–** अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिये उत्तम खाद–बीज उपलब्ध करवाना, प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकतानुसार क्रियान्वित करवाना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल हैं। खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.), पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं।

## जिला परिषद्

ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद् बनाई गई है, जो पंचायतीराज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद् का गठन होता हैं। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है।

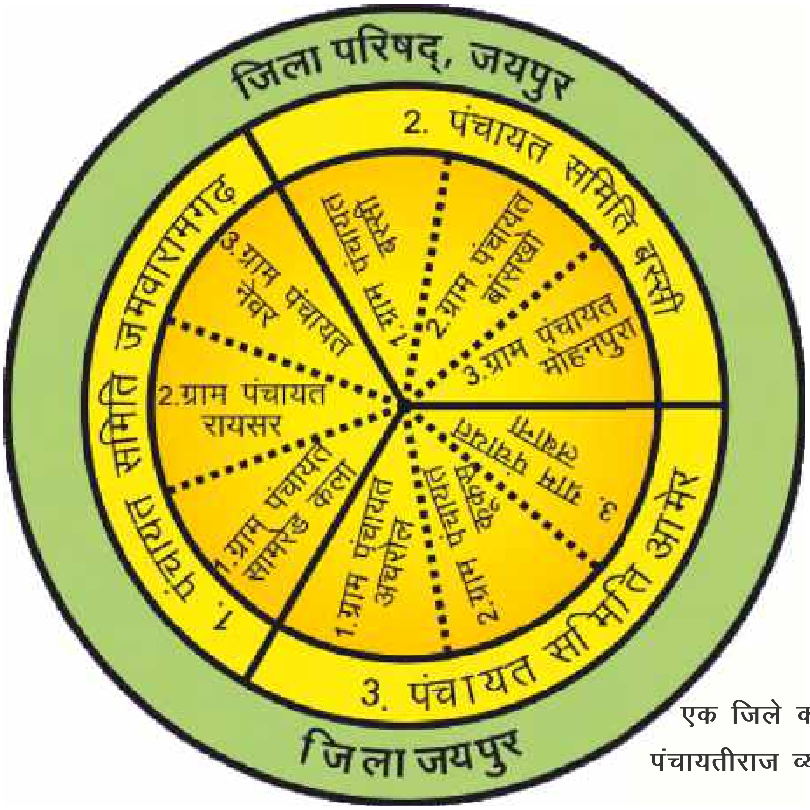


**एक जिले की त्रि–स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का गठन**

जिला परिषद् के गठन के लिए पूरे जिले को वार्ड़ों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद् के प्रत्येक वार्ड़ के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो जिला परिषद् का सदस्य होता हैं। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ–साथ उस जिले से निर्वाचित विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिला परिषद् का मुखिया 'जिला प्रमुख' होता है। समय–समय पर इसकी बैठकें होती हैं। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

**गतिविधि :**

1. आपकी जिला परिषद् और उसके जिला प्रमुख का नाम मालूम कीजिए।
2. आपके क्षेत्र के जिला परिषद् सदस्य का नाम मालूम कीजिए।

**कार्य–** जिला परिषद् ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की सामान्य देखरेख करती है। यह सम्पूर्ण जिले की विकास योजनाएँ बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) व अन्य अधिकारी जिला परिषद् की उसके कार्यों में मदद करते हैं।

बच्चों! अब आप यह बात भली–भाँति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं – वार्डपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य। इन सबका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है।

## नगरीय स्वशासन

जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद् या नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक एवं एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में 'नगर पालिका', एक लाख से अधिक किन्तु पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में 'नगर परिषद्' तथा पाँच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में 'नगर निगम' होता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद् तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत है।

नगर पालिका, नगर परिषद् या नगर निगम के गठन के लिए इनके क्षेत्र को वार्डों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक वार्ड़ के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि 'पार्षद्' कहलाता है। ये पार्षद् इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ–साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद् अपने में से ही किसी एक पार्षद् को अपना मुखिया और एक को उप–मुखिया चुनते हैं। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद् का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। समय–समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद् अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर नियम–उपनियम भी बनाते हैं।

**गतिविधि :**

1. आपके नगरीय निकाय का नाम तथा उसके वार्डों की कुल संख्या मालूम कीजिए।
2. आपके क्षेत्र की वार्ड संख्या और पार्षद का नाम मालूम कीजिए।
3. आपके नगरीय निकाय के मुखिया का पदनाम व मुखिया का नाम मालूम कीजिए।

**कार्य–** इन शहरी संस्थाओं के कार्य दो तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे–शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म–मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले–प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन–बसेरों की व्यवस्था आदि। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देने के लिये अधिशाषी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं।

**नगरीय संस्थाओं के प्रमुख कार्य**

इन संस्थाओं को तीन स्रोतों से धन प्राप्त होता है। पहला, इन्हें केन्द्र या राज्य सरकारों से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्माने के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन प्राप्त करती हैं।

ये स्थानीय संस्थाएँ हमारी अपनी संस्थाएँ हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्त्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों का सहयोग करें, तब ही ये संस्थाएँ सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेंगी।

## शब्दावली

मतदाता सूची : 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची।

विकास खण्ड : विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बाँटे गए खण्डों में से एक खण्ड ।

निर्वाचित : मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी।

मनोनीत : पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया।

विकेन्द्रीकरण : प्रकार्य साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक, निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना।

## अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है–

(अ) नगर निगम (ब) नगर परिषद्

(स) नगरपालिका (द) ग्राम पंचायत ( )

(ii) ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है –

(अ) वार्ड पंच (ब) सरपंच

(स) प्रधान (द) पंचायत समिति सदस्य ( )

(iii) स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है –

(अ) नगर पालिका (ब) नगर परिषद्

(स) नगर निगम (द) उपर्युक्त सभी ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(i) वार्ड सभा की अध्यक्षता ............................ करता है।

(ii) गाँव के विकास की योजनाएँ ..........................की बैठक में बनाई जाती है।

(iii) ......................... पंचायतीराज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है।

(iv) नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि..................कहलाता है।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

| **स्तम्भ 'अ'** | **स्तम्भ 'ब'** |
|---|---|
| (i) ग्राम पंचायत का मुखिया | प्रधान |
| (ii) पंचायत समिति का मुखिया | जिला प्रमुख |
| (iii) जिला परिषद् का मुखिया | सरपंच |
| (iv) नगर पालिका का मुखिया | मेयर |
| (v) नगर परिषद् का मुखिया | अध्यक्ष |
| (vi) नगर निगम का मुखिया | सभापति |

4. पंचायतीराज व्यवस्था के तीन स्तर कौन–कौन से हैं ?
5. ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कोई चार कार्य लिखिए।
6. स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कोई चार कार्य लिखिए।
7. जिला परिषद् के गठन को समझाइए।
8. आपके क्षेत्र में या नजदीकी शहर में कौनसी नगरीय स्वशासन संस्था कार्य करती है ? उसके गठन को समझाइए।

# अध्याय 15

# जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था

वर्तमान में हमारे देश में 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को संभागों में, संभाग को जिलों में, जिले को खण्डों एवं तहसीलों में तथा तहसील को पटवार वृत्त (ग्राम पंचायत स्तर) में बाँटकर शासन की प्रत्येक इकाई के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है। हमारे राज्य राजस्थान में सात सम्भाग व उनमें 33 जिले हैं। आप इनका अवलोकन संलग्न मानचित्र में करें। इन इकाईयों में जिला एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। जिले का चहुँमुखी विकास 'जिला प्रशासन' की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है।

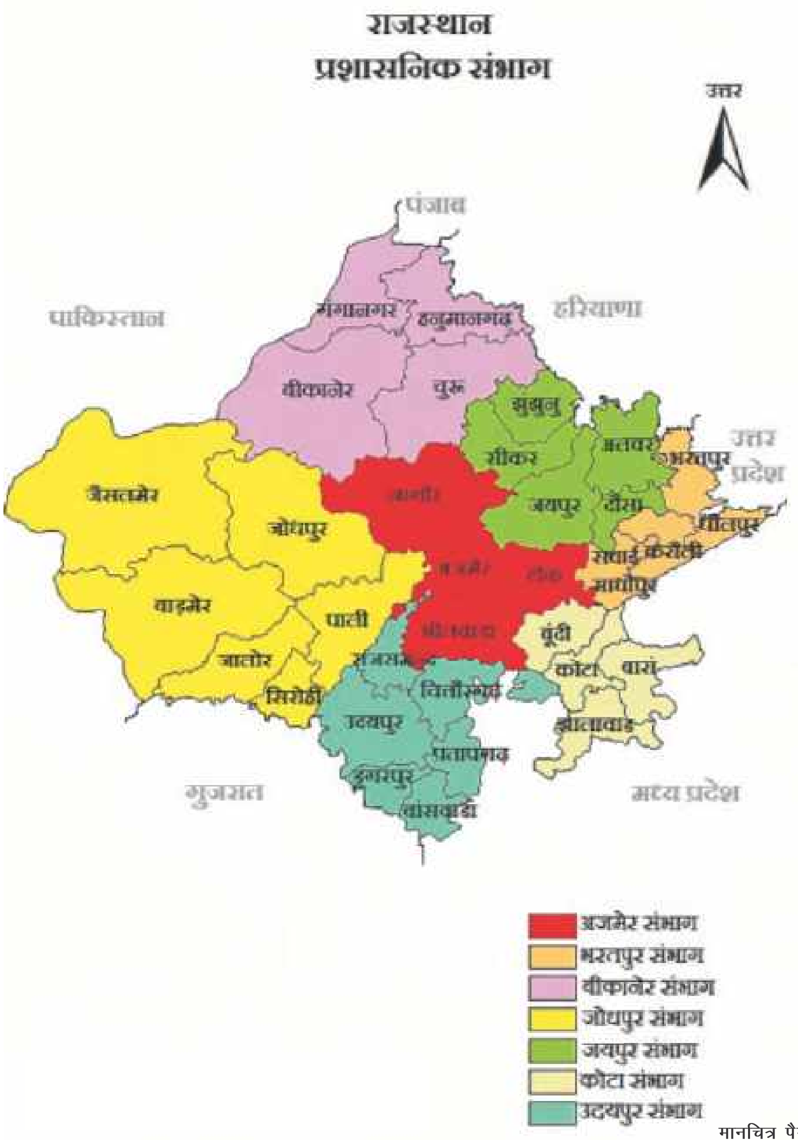


मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

संलग्न मानचित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें–

1. राज्य के सात संभाग मुख्यालय कौन–कौन से हैं ?
2. आपका जिला किस संभाग के अन्तर्गत स्थित है ?
3. आपके जिले के पड़ोसी जिलों के नाम बताइये ?

**गतिविधि–**

राजस्थान के रेखा मानचित्र में आपके अपने संभाग को प्रदर्शित करने के लिये उसमें रंग भरें व अपने जिले का नाम भी लिखें।

**जिला कलेक्ट्रेट, टोंक**

जिला स्तर पर जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है –

1. शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना।
2. भू–अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना।
3. रसद एवं अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था।
4. शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था।
5. जिले के विकास की विभिन्न योजनाएँ बनाना और उन को लागू करवाना।

6. विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न करवाना।

7 .प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करना।

8 .जनता और सरकार के बीच की 'कड़ी' का काम करना।

9 .पंचायत राज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।

10 .जनसमस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करना।

उपर्युक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर होता है। जिला कलक्टर विभिन्न रूपों में कार्य करता है। वह जिला कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, कलक्टर (पंचायत), कलक्टर (रसद), कलक्टर (भू–अभिलेख), जिला निर्वाचन अधिकारी आदि के रूप में कार्य करता है।

जिले के सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य जिला कलक्टर द्वारा स्वयं एवं उसके मार्गदर्शन में किये जाते हैं। जिला कलक्टर की मदद के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी अपने अधिनस्थों की मदद से अपने–अपने विभाग के कार्यों को सम्पादित करते हैं, जैसे– पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता आदि। निम्नलिखित सारिणी की सहायता से हम जिला प्रशासन एवं उसके कार्यों को समझ सकते है–

| जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य एवं कार्य में सहयोग करने वाले प्रमुख जिला अधिकारी – | | | | |
| 1. शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना | 2–राजस्व व भू–अभिलेखों का संधारण एवं भू–राजस्व लेना | 3–नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना | 4–जनता व सरकार के बीच की कड़ी | 5–राजकोषीय कार्य |
| पुलिस अधीक्षक<br>↓<br>अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक<br>↓<br>उप पुलिस अधीक्षक<br>↓<br>वृत्त निरीक्षक<br>↓<br>उप निरीक्षक<br>↓<br>हेड कांस्टेबल<br>↓<br>कांस्टेबल | अतिरिक्त जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट (ADM)<br>↓<br>उप खण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट (SDM)<br>↓<br>तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट<br>↓<br>नायब तहसीलदार<br>↓<br>भू–अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर)<br>↓<br>पटवारी | 1. जिला रसद अधिकारी<br>2. जिला वन अधिकारी<br>3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी<br>4. जिला शिक्षा अधिकारी<br>5. जिला नियोजन अधिकारी<br>6. जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी | जन सम्पर्क अधिकारी<br>↓<br>उप जन सम्पर्क अधिकारी | कोषाधिकारी (जिला मुख्यालय)<br>↓<br>उप जिला कोषाधिकारी<br>↓<br>उप कोषाधिकारी (तहसील स्तर) |

## जिला प्रशासन के कार्यों की विवेचना

1. **शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना–** जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इस कार्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन होता है। जिले में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) के नियंत्रण, निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करता है। उसके नियन्त्रण में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक (डी.एस.पी.), वृत्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी (हैड कांस्टेबल) तथा आरक्षी (कांस्टेबल) होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) के अधीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.), उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) एवं तहसील स्तर पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) नियुक्त होते हैं। ये सभी मजिस्ट्रेट अपने–अपने स्तर पर पुलिस अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर शान्ति व कानून व्यवथा बनाए रखते हैं।
2. **जिले के 'भू–अभिलेख' अद्यतन रखना तथा किसानों से भू–राजस्व प्राप्त करना–** 'जिला प्रशासन' का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह अपने अधीनस्थ तहसीलों में विभिन्न प्रकार की भूमियों का अभिलेख रखे व इसे अद्यतन (Update) भी बनाए रखे। गाँव का पटवारी गाँव की समस्त भूमि का निर्धारित प्रकारों में वर्गीकरण करता है, इसके साथ वह खेतों का नाप रखता है, खेतों के नक्शे बनाता है, भूमि के मालिक का नाम व उसकी भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। फसल तैयार होने पर पटवारी उसका विवरण तैयार करता है जिसे 'गिरदावरी' करना कहते हैं। इसके साथ ही पटवारी किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे 'भू–राजस्व' या 'लगान' कहते हैं।
3. **रसद एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना–** जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएँ, जैसे– खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस सिलेन्डर आदि को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था 'जिला रसद अधिकारी' करता है। बाढ़, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाना भी जिला प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य होता है।
4. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना–** जिले में चिकित्सा सुविधाएँ एवं दवाइयाँ, टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ, नशा मुक्ति आदि कार्यकर्मों को संचालित करने हेतु एक 'मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी' होता है। उसके सहयोग हेतु ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी (डॉक्टर), नर्स, प्रसाविका (दाई) आदि होते हैं।
5. **कृषि–विकास एवं सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना–** यह कार्य जिले के सिंचाई एवं कृषि विभाग करते हैं, जो किसानों को सिंचाई की सुविधा और उन्नत खाद–बीज उपलब्ध करवाते हैं। कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए भी ये विभाग मदद करते हैं।
6. **जिला योजनाओं का निर्माण व क्रियान्विति–** केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, साक्षरता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति

विकास, सिंचाई योजनाएँ आदि। इन योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्विति जिले के विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है, जिन पर जिला प्रशासन का नियंत्रण एवं निर्देशन होता है।

7. **वनों का विकास एवं पर्यावरण सुधार–** जिले में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु 'जिला वन अधिकारी' होता है, जो वनों के विकास के कार्य एवं देखभाल करता है।

8. **संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना–**जिले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायतराज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव समय–समय पर होते रहते हैं। इन चुनावों को कराने का दायित्व जिला प्रशासन का है। जिला कलक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग से इन चुनावों को सम्पन्न करवाता है।

9. **जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का कार्य–** जिले में प्राकृतिक आपदा एवं अन्य समस्याओं के निवारण के लिये जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है तथा आवश्यक व्यवस्था करता है। दूसरी ओर वह सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी जनता को देता है, ताकि जनता उनका लाभ उठा सके।

10. **पंचायतराज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन–** पंचायतीराज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद् को सहयोग प्रदान करता है।

11. **जन समस्याओं व शिकायतों का निवारण–** आम जनता की कठिनाईयों एवं शिकायतों के निवारण के लिये जिला स्तर पर 'जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति' होती है। यह आम जनता की बिजली, पानी, टेलिफोन, यातायात, पेन्शन प्रकरण, राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाना आदि समस्याओं का निराकरण कराती है। आम जनता इस समिति के माध्यम से अपनी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करवा सकती है।

12. **जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन–** प्रत्येक जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक–पृथक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। वे अपने जिले में स्थित विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों को सुचारू एवं सुव्यस्थित रूप से संचालित करवाना, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की पालना करवाना, निजी विद्यालयों को मान्यता देना, जिला स्तर पर विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाना आदि कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जिले के सभी विकास खण्डों में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं।

13. **अन्य कार्य–** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की राजकीय यात्रा को निर्बाध रूप से सम्पन्न करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है।

हमें जिला प्रशासन के कार्यों में उसका सहयोग करना चाहिए। अब हम जिले की न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे।

## जिले की न्याय व्यवस्था

स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें। जब

कभी समाज में आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विवादों के समाधान तथा उनके उचित–अनुचित का फैसला करने के लिए हमारे संविधान द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।

नागरिकों के बीच में सामान्यतः तीन प्रकार के विवाद हो सकते हैं–

1. **दीवानी विवाद**– सम्पत्ति (जमीन–जायदाद), चीजों की खरीददारी, विवाह, किराया और संविदा सम्बंधी विवाद दीवानी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों का निपटारा दीवानी न्यायालय में होता है।
2. **फौजदारी विवाद**– हत्या, मारपीट, चोरी तथा शान्ति–भंग करने से सम्बंधित विवाद फौजदारी विवाद कहलाते हैं और इन विवादों की सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती है।
3. **राजस्व विवाद**– भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि के उत्तराधिकार, नामान्तरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद आते हैं। ऐसे मामले क्षेत्राधिकार के अनुसार उप–तहसीलदार, तहसीलदार अथवा सहायक कलक्टर के यहाँ प्रस्तुत होते हैं। जिले में अन्तिम रूप से अपीलों का निर्णय जिला कलक्टर के यहाँ होता है।

इस प्रकार जिले में मुख्यतः तीन प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं–

1. दीवानी न्यायालय 2. फौजदारी न्यायालय 3. राजस्व न्यायालय

## फौजदारी न्यायालयों में कार्य प्रक्रिया

फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक होता है। इस प्रकार की सूचना को 'प्रथम सूचना प्रतिवेदन' (एफ.आई.आर.) कहते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन कर सबूत इकट्ठा करती है और फिर न्यायालय में उस मामले का चालान प्रस्तुत करती है। न्यायालय प्रस्तुत सबूतों के साथ–साथ गवाहों तथा दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अपना निर्णय देता है।

इनके अतिरिक्त जिले में कुछ विशिष्ट न्यायालय भी होते हैं, जैसे– पारिवारिक न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों संबंधी न्यायालय, श्रम न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय, जिला उपभोक्ता मंच आदि।

## लोक अदालत

न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत न्यायाधीश उस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विवादग्रस्त पक्षों के मध्य समझौता (राजीनामा) करवाकर विवाद का स्थायी समाधान करवाते हैं,जो न्यायालयों को मान्य होता है। इससे आपसी कटुता दूर हो जाती है तथा सस्ता और त्वरित न्याय प्राप्त होता है। राजस्थान में लोक अदालतें बहुत लोकप्रिय हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, पिछड़े व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।

सामान्य रूप से हमें आपसी स्नेह, सहयोग तथा मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि विवादों से बचा जा सके।

**गतिविधि :** अपने शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | हमारे राज्य का नाम | |
| 2 | आपके जिले का नाम | |
| 3 | आपके सम्भाग का नाम | |
| 4 | आपके क्षेत्र के उपखण्ड का नाम | |
| 5 | आपके क्षेत्र की तहसील का नाम | |
| 6 | आपके क्षेत्र का पुलिस थाना | |
| 7 | आपके गाँव का पटवार वृत्त | |
| 8 | आपका नजदीकी राजकीय चिकित्सालय | |
| 9 | आपके जिले के जिला कलक्टर का नाम | |
| 10 | आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का नाम | |

## शब्दावली

संवैधानिक संस्थाएँ : लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायतीराज एवं नगरीय स्वशासन की संस्थाएँ आदि जिनका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो।

रसद : जल, अनाज आदि खाद्य सामग्री

उन्मूलन : जड़ से समाप्त कर देना

अभाव अभियोग : सुविधाओं आदि की कमी का आक्षेप

विधिक : कानून संबंधी

प्राकृतिक आपदा : तूफान व बाढ़ जैसी घटना

अद्यतन : आज का या नवीनतम

## अभ्यास प्रश्न

1. सही उत्तर का विकल्प चुनिए –

(i) जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है –

(अ) पुलिस अधीक्षक (ब) जिला कलक्टर

(स) जन सम्पर्क अधिकारी (द) कोषाधिकारी ( )

(ii) न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है–

(अ) दीवानी न्यायालय में (ब) फौजदारी न्यायालय में

(स) लोक अदालत में (द) राजस्व न्यायालय में ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) हमारे देश में .................. राज्य और ...................... केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

(ii) राजस्थान में ....................... संभाग और .............. जिले हैं।

(iii) फौजदारी मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र को.................... ................................ कहते हैं।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए –

| **(अ)** | **स्तम्भ 'अ'** | **स्तम्भ 'ब'** |
|---|---|---|
| (i) | शान्ति एवं कानून व्यवस्था | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी |
| (ii) | भू–अभिलेख अद्यतन करना | सिंचाई एवं कृषि विभाग |
| (iii) | रसद सामग्री उपलब्ध करवाना | मजिस्ट्रेट एवं पुलिस |
| (iv) | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ | पटवारी |
| (v) | कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाएँ | जिला रसद अधिकारी |

| **(ब)** | **स्तम्भ 'अ'** | **स्तम्भ 'ब'** |
|---|---|---|
| (i) | वनों का विकास | जिला प्रशासन |
| (ii) | संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव | जिला वन अधिकारी |
| (iii) | सम्पत्ति संबंधी विवाद | राजस्व विवाद |
| (iv) | चोरी, मारपीट व हत्या के विवाद | दीवानी विवाद |
| (v) | कृषि भूमि सम्बन्धी विवाद | फौजदारी विवाद |

4. जिला प्रशासन के कोई चार कार्य लिखिए।

5. पटवारी के क्या–क्या कार्य हैं ? लिखिए।

6. जन अभाव–अभियोग एवं सतर्कता समिति क्या कार्य करती है ?

7. जिला कलक्टर के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

8. फौजदारी न्यायालय की कार्य प्रक्रिया को समझाइए।

9. जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका को समझाइए।